

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मुकदमा संख्या 202/2025

अनवान राजस्थान सरकार जिरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम रामलाल

—आदेश—

दिनांक 27.08.2025

श्रीमान जिला कलक्टर के पत्रांक:प.12(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम घोलाडेर पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076-2079 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुगकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व ग्राम घोलाडेर पटवार मण्डल खरंटिया तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को गैर मुगकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्टर.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि			
					रकबा (हेक्टर.)	लम्बाई (गट्टा में)	चौड़ाई (गट्टा में)	किस्म
1	रामलाल पुत्र नवराज जाति जाट सा. देह खातेदार रहन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा चवा	38	13.1058	बा.सो.	0.0788	65	3	गै. मु. रास्ता
2	धीराराम पुत्र गोमाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार पूर्ण हिस्सा रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा चवा मेवाराम पुत्र गोमाराम 1/2 पूर्ण हिस्सा रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा चवा	192/181	6.3020	बा.सो.	0.0384	90	1	गै. मु. रास्ता
3.	कानाराम पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/3, जेताराम पुत्र सोनाराम 1/3 मानाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	208/177	5.3993	बा.सो.	0.0728	90	2	गै. मु. रास्ता

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

